सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 914 **4 Aashwin, 1940(S)**

Ranchi, Wednesday, 26th September, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification
26th September, 2018

Notification No. 50/2018 – State Tax

S.O. No. 64 - Dated. 26th September, 2018:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 90, dated the 06th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of Jharkhand hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

(a) an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with fifty-one percent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर, 2018

अधिसूचना सं०. 50/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 64 - दिनांक 26 सितम्बर, 2018 -- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और झारखण्ड सरकार के वाणिज्य कर विभाग की एस. ओ. सं. 90 तारीख 06 अक्टूबर, 2017 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 914 -- 50.